न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ll, आर.ए.एस

राजस्व अपील :– 02/21 अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अनवान :–

अपीलाण्टगण :– 1.श्रीमती पेम्पोंदेवी पत्नि लिच्छाराम
2.अणदूदेवी पत्नि मुकनाराम
3.हीरोदेवी पत्नि पुरखाराम, जाति जाट
निवासी मते का तला, तहसील चौहटन।

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. सरपंच, ग्राम पंचायत मते का तला
2. कुरान खातु पत्नी बरकत अली, जाति मुसलमान
निवासी मते का तला, तहसील चौहटन
3. भंवरलाल पुत्र किरतमल, जाति जैन के का.मु. :–
3/1.केवलचन्द 3/2.मोहनलाल पि. भंवरलाल
3/3.जड़ाकंवर पत्नि भंवरलाल, जाति जैन
निवासी जैन न्याति नोहरा की गली, बाड़मेर

अधिवक्तागण
अपीलाण्टगण :– श्री जगदीश पोटलिया
उतरदातागण :– श्री शाकर खान समेजा, श्री ईलम खान (उतरदाता सं. 02)
श्री उम्मेदसिंह (उतरदाता सं. 01)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक 18.04.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्टगण की अपील का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा मते का तला, तहसील चौहटन में खसरा नं. 289/154 रकबा 37.12 बीघा का आया हुआ है जिसमें 1/2 हिस्सा उतरदाता सं. 2 एवं 1/2 हिस्सा स्व.भंवरलाल की खातेदारी में दर्ज था। उपरोक्त खेत पूर्व में स्व.भंवरलाल व उसके भाई का था। स्व.भंवरलाल के भाई द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अपना 1/2 हिस्सा उतरदाता सं. 2 को बाजाब्ता रजिस्ट्री के बेचान किया था एवं आधा हिस्सा स्व.भंवरलाल के नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है।

स्व. भंवरलाल द्वारा अपना उपरोक्त 1/2 हिस्सा दिनांक 30.12.2020 को बाजाब्ता रजिस्ट्री कराकर अपीलाण्टगण को बेचान कर अपने 1/2 हिस्से का कब्जा उन्हें सुपुर्द किया गया । उक्त बेचान का म्यूटेशन भराने के लिए बेचान की नकल पटवारी हल्का को दी गई जिस पर उन्होने बेचान का सही इन्द्राज पाया व म्यूटेशन स्वीकृति हेतु उतरदाता सं. 1 के पास भेजा गया जिन्होंने 05.03.2021 को अस्वीकार करने में कानूनन एवं इंसाफन भूल की है जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है :–

1.कि ग्राम पंचायत मते का तला का वर्तमान सरपंच सरादीन है जो उतरदाता सं. 2 का पुत्र है इसलिए उतरदाता सं. 01 द्वारा जानबूझकर यह आदेश कानून के विरूद्ध पारित किया गया।

2.कि उतरदाता सं. 01 के समक्ष म्यूटेशन प्रस्तुत होने पर उसके द्वारा जानबूझकर यह टिप्पणी की गई कि बेचान की गई भूमि विवादित है व मौका जांच कर आगामी बैठक दिनांक 05.03.2021 को पेश की गई कि खरीददार का वादग्रस्त भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त नहीं है। मौके पर कब्जा उतरदाता सं. 20 का बताया गया। इस आधार पर यह आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई ।

3.कि वादग्रस्त भूमि में उतरदाता सं. 2 का 1/2 हिस्से का खातेदार है व उसके द्वारा स्व. भंवरलाल से भूमि खरीदी गई तब उसका 1/2 हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा मानने में कानूनन भूल की गई।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

4.स्व. भंवरलाल द्वारा किये गये पंजीबद्ध दस्तावेज में स्पष्ट लिखा गया है कि मौके पर कब्जा दिया गया है। इसके उपरान्त भी म्यूटेशन खारीज करने में कानूनन व इंसाफन भूल की है।

5.कि उतरदाता सं. 2 का पुत्र सरपंच होने के उपरान्त भी उक्त बैठक कार्यवाही में उपस्थित होकर भाग लिया गया व म्यूटेशन खारीज किया गया जो कानूनन गलत है।

6.कि उक्त अपील म्याद के भीतर है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 1045 दिनांक 05.03.2021 निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्टगण की अपील दर्ज रजिस्टर्ड की गई। उतरदाता सं. 02 की ओर से अधिवक्ता श्री शाकर खान सहित [illegible] वकालतनामा पेश किया गया। शेष उतरदातागण को जरिये रजि.एडी नोटिस के तलब किया गया। जिनके नोटिस की एडी प्राप्त हुई। उतरदाता सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह सोढ़ा ने वकालतनामा पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

शेष उतरदातागण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः शेष उतरदातागण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलाण्टगण एवं उतरदाता सं. 01 व 02 के वकील उपस्थित हुए। उतरदाता सं. 1 व 2 के अधिवक्ता कोई जवाब पेश नहीं करना चाहते है। अतः वकील अपीलाण्टगण एवं उतरदाता सं. 01 व 02 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्टगण ने अपनी बहस में अपील में पेश कथनों को दोहराते हुए नामान्तरकरण सं. 1045 दिनांक 05.03.2021 को निरस्त करने का निवेदन किया। उतरदाता सं. 01 व 02 के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में अपीलाण्टगण द्वारा पेश अपील को स्वीकार किया तथा कथन किया किया यदि नामान्तरकरण सं. 1045 दिनांक 05.03.2021 को निरस्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि मौजा मते का तला के खसरा सं. 289/154 रकबा 37.12 बीघा में से 1/2 हिस्सा अपीलाण्टगण द्वारा स्व. भंवरलाल से जरिये रजिस्ट्री खरीदा गया था। उक्त रजिस्ट्री के आधार पर उतरदाता सं. 01 को अपीलाण्टगण के पक्ष में नामान्तरकरण पारित करना था। लेकिन उतरदाता सं. 01 द्वारा उक्त नामान्तरकरण को अस्वीकृत करने का नामान्तरकरण सं. 1045 दिनांक 05.03.2021 को पारित किया गया जो न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

अतः न्यायालय के मतानुसार उतरदाता सं. 01 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 1045 दिनांक 05.03.2021 काबिले खारीज है।

अतः अपीलाण्टगण की अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act स्वीकार की जाकर मौजा मते का तला के खसरा सं. 289/154 के संबंध पारित नामान्तरकरण सं. 1045 दिनांक 05.03.2021 को खारीज किया जाकर तहसीलदार चौहटन को पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 16:59:38 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम ।।)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन